



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258644
CG-DL-E-14112024-258644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4533]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2024/ कार्तिक 22, 1946

No. 4533]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2024/KARTIKA 22, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

का.आ. 4914 (अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 28(अ), दिनांकित 05 जनवरी, 2017 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे उक्त 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का. आ. 4248(अ) दिनांकित 26 नवंबर, 2020 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 के अनंतापुरामू – मुदीगुब्बा खंड के डिजाइन चैनेज किमी 76+00 से 129+300 (मौजूदा किमी 76+00 से किमी 133+471 तक) चार अथवा अधिक लेन खंड के उपयोग के लिए 46.891 (तालिका-2) किमी की निवल सड़क खंड लंबाई के तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर; 4.09 किमी (0.409 किमी लंबाई वाली, तालिका-4) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए [पेव्ड शोल्डर सहित चार अथवा अधिक लेन के उपयोग के लिए आधार दर के 100% पर] तथा 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले 6.00 किमी (तालिका-3) लंबाई के बाइपासों के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में

विनिर्दिष्ट आधार दर के डेढ़ गुना पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, निम्नानुसार:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्यसाई जिले में बाथलपल्ली गांव के निकट रारा-42 के डिजाइन किमी 103+150 (मौजूदा किमी 104+405) पर	46.891 (बाइपास की लंबाई (लागत >10 करोड़ रु.) और संरचना की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर	पेव्ड शोल्डर सहित चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :-

तालिका-3						
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	पर मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है लंबाई (किमी) लागत (करोड़ रु. में)		दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्यसाई जिले में	रारा-42 का बाथलपल्ली	डिजाइन किमी 96+300	डिजाइन किमी 103+300	6.00	30.47	पेव्ड शोल्डर सहित चार अथवा अधिक

बाथलपल्ली गांव बाइपास के निकट रारा-42 के डिजाइन किमी 103+150 (मौजूदा किमी 104+405) पर	(मौजूदा किमी 97+410)	(मौजूदा किमी 102+300)			लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
जोड़			6.00	30.47	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई [^] (किलोमीटर में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्यसाई जिले में बाथलपल्ली गांव के निकट रारा-42 के डिजाइन किमी 103+150 (मौजूदा किमी 104+405) पर	0.409	4.09	पेन्ड शोल्डर सहित चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	डिजाइन चै. किमी से	डिजाइन चै. किमी तक		
1	111.874	112.219	बड़ा पुल (4 लेन+पीएस)	0.345
2	124.214	124.278	बड़ा पुल (4 लेन+पीएस)	0.064
जोड़ (4 लेन+पीएस)				0.409 किमी

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2024-25 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे

पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो- तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना
--	------	-----------------------------

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 613.62 करोड़ रु. है। निर्माणाधीन टोल प्लाजा चौड़ीकरण, निर्माणाधीन बड़े पुलों और वीथी के पट्टाचमार्गों, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12014/26/2021-एपी/जोन-III/ई-205269]

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2024

S.O. 4914 (E).—, Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 28(E) dated 05th January, 2017 issued under section 05 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway No.42 in the State of Andhra Pradesh to the State Government of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008 (herein referred to as the “rules”), and in supersession to Notification published vide S.O. 4248(E) dated 26th November, 2020 the Central Government hereby levies on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table-1 for net road section length of 46.891 Km (Table-2) for use of four or more lane section are at hundred percent of the base rate; for equivalent structure length (having length more than 60m) of 4.09 Km (having a length of 0.409 Km, Table-4) [at hundred per cent of the base rate for use of Four lane or more lane with paved shoulder section] and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 6.00 Km (Table-3) costing rupees ten Crore or more on the type of

vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Ananthapuramu - Mudigubba section of NH-42 from Design Chainage Km 76+00 to Km 129+300 (existing Km 76+00 to Km 133+471) of National Highway number 42 in the State of Andhra Pradesh and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, as under:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 103+150 (Existing Km 104+405) of NH-42 near Bathalapalli Village in Sri Satya Sai District of Andhra Pradesh	46.891 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Cr.)	
At Design Km 103+150 (Existing Km 104+405) of NH-42 near Bathalapalli Village in Sri Satya Sai District of Andhra Pradesh	Bathalapalli Bypass of NH-42	Design km 96+300 (existing km 97+410)	Design km 103+300 (existing km 102+300)	6.00	30.47	150% for four or more lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1
Total				6.00	30.47	

3. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structures [^] (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 103+150 (Existing Km 104+405) of NH-42 near Bathalapalli Village in Sri Satya Sai District of Andhra Pradesh	0.409 Km	4.09 Km	100% for four or more lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	Design Ch. Km from	Design Ch. Km. To		
1	111.874	112.219	Major Bridge (4L+PS)	0.345
2	124.214	124.278	Major Bridge (4L+PS)	0.064
Total (4L+PS)				0.409 Km

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 340.00 (Rupees Three Hundred Forty Only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:
-

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-Four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is **Rs.613.62 Crore**. The capital cost is subject to variation as the activities of Toll Plaza widening under Construction, Major Bridge and VUP approaches under construction etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[File No. RW/NH-12014/26/2021-AP/Zone-III/E-205269]

KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.